

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर



पत्रांक: प.वि.वि / सम्बद्धता (NOC) / 2020 / 2189

दिनांक : 28-10-2020

सम्बद्धता की सहमति

स्थानीय जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जौनपुर ने भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 13 (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त पर प्रस्तावित सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटीरा चण्डेश्वर आजमगढ़ को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 60 सीटों के साथ प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय को सम्बद्धता की सहमति **(CONSENT OF AFFILIATION)** बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम में 80 सीटों पर प्रारम्भ करना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

भवदीय,
28/10/20
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय बी० ब्लॉक, जी०पी०ओ० कॉम्प्लेक्स
आई०एन०ए०, नई दिल्ली-110023

कुलसचिव